Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

लिंगीय असमानता और चुनौतियां

डॉ. पिंकी सोमकुवर*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – लैंगिक असमानता एक सामाजिक धारणा है। स्त्री और पुरुष एक जैविक तथ्य है यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जुड़ जाती है तो यह एक लैंगिक असमानता का रूप ले लेती है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य हैं। प्रकृति मे किसी भी प्रकार का भेदभाव लिंग आधारित नहीं होता है। परंतु फिर भी समाज में महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव होता है–जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा तथा रोजगार आदि। लिंग असमानता की वजह से महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, अवसरों की असमानता आदि का सामना करना पड़ता है। और जब यह महिलाएं निम्न जाति से आती है तो उनका शोषण और बढ़ जाता है। अधिकांश धार्मिक कृत्य महिलाओं के हिस्से में आते हैं परंतु जहां संस्कारों की बात हो तो उच्च जातियों में पुरुषों का तो उपनयन संस्कार होता है परंतु महिलाओं का नहीं। आज भी किसी मृत व्यक्ति को अग्नि देने का काम अधिकांशत: पुरुष ही करते हैं बहुत कम मामलों में महिलाओं को इस प्रकार के संस्कार करते हुए देखा जाता है। महिलाओं का समाजिकरण इस प्रकार होता है कि सारे व्रत की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है चाहे वह पति के लिए हो या पुत्र के लिए। देवदासी, नगरवधू इस प्रकार की प्रथाएं भी महिलाओं को धर्म के माध्यम से समाज द्वारा ही दी जाती थी। लैगिक असमानता हमें मॉडर्न कल्चर लिव इन रिलेशनशिप में भी देखने के लिए मिलती है। श्रद्धा वाल्कर, निकी यादव यह हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पुरुष का चुनाव आप अपनी मर्जी से करें या परिवार की मर्जी से हो आपको हिंसा का सामना इसमें भी करना पड़ सकता है।

शब्द कुंजी – लिंग असमानता, समानता, अवसर, शिक्षा, शोषण, सामाजिकरण।

प्रस्तावना – लैंगिक असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर भेदभाव से है परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। महिलाएं घर समाज तथा कार्यस्थल पर शोषण अपमान और सबसे महत्वपूर्ण कदम कदम पर भेदभाव से ग्रसित होती है। महिलाओं की यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु विकसित देशों में भी है। स्त्री और पुरुष एक जैविक तथ्य है यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जुड़ जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बनकर लैगिक असमानता बन जाती है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम ना होकर सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित है इसे बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिकरण की होती है। क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है इसलिए महिलाएं क्या करेगी और क्या नहीं करेगी इसका नियंत्रण भी काफी हद तक पुरुषों के हाथों में था। समाज में पुरुष और स्त्री के लिए अलग–अलग व्यवहार की व्यवस्था थी परंतु वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है लेकिन समानता अभी भी दूर है।

सिमोन दी बुआ के अनुसार महिलाओं की बराबरी की बात करते समय हमें उनके जैविक अंतर की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 'औरत पैदा नहीं होती है बल्कि समाज औरत को गढ़ता है।' वह बार–बार इस बात पर जोर देती है कि हमारा धर्म हमारी संस्कृति हमारा समाज लड़कियों को मजबूर करता है स्त्री बनने के लिए। सिमोन के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म में महिलाओं की पूजा भी होती है। धर्म तो वास्तव में पुरुषों के द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है औरतों पर शासन करने का।

नीरा देसाई का मानना है कि हमारा सरोकार केवल सामाजिक घटनाओं से अध्ययन से नहीं है। बल्कि हम कानून की संरचना और महिला मुक्ति के रास्ते में आने वाली हर चीज को बदलना चाहते हैं। ऐसा करने में हम अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हिंसक संघर्ष में आ जाते हैं जो मूल्य तथा परंपरा की वकालत करते हैं।

बीना मजूमदार के अनुसार जब वह 1975 में प्रकाशित समानता रिपोर्ट की मसौदा समिति का हिस्सा थी तब वह और उनके सहयोगी भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक सामूहिक चेतना बनाने की आवश्यकता पर निर्भर थे। अपनी मध्यमवर्गीय स्थिति और बेहतर शैक्षिक अवसरों के संपर्क के कारण, उन्होंने यह महसूस किया कि, भारत में गरीब वंचित महिलाओं के जीवन के अनुभव के बारे में जागरूकता के लिए कोई चेतना नहीं थी। उन्हें और उनके सहयोगियों को एहसास हुआ की प्रतिबद्धता के लिए काम करने के माध्यम से उन्होंने जो सामूहिक चेतना पैदा की है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

शोध पत्र के उद्देश्य :

1. ऐतिहासिक परिदृश्य में लिंग असमानता को समझना।
2. डॉ. बी आर अंबेडकर के महिलाओं संबंधी विचार को समझना।
3. हमारी धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार लिंग असमानता में भूमिका निभाती है इसका अध्ययन करना।
4. शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार लिंग असमानता को दूर किया जा सकता है का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया

है। अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन – फ्रेंच इतिहासकार व विचारक मिशेल फूको (1980) में अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में ज्ञान और सत्ता के चरित्र की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह ज्ञान और सत्ता स्त्री को अनुकूलित करते हैं। उनके अनुसार शरीर एक ऑब्जेक्ट है जिसे समाज राजनीति व सत्ता अपने अनुसार बनाती व प्रशिक्षित करती है जैसे पुरुष हमेशा से समाज में अपने लिए अधिक स्पेस चाहता है। वही महिलाएं थोड़े से में ही खुद को संतुष्ट पाती है क्योंकि उसे ऐसी सामाजिक निर्मिती दी जाती है कि वह बड़ा न सोच सके। प्रभा खेतान(2010) के अनुसार भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता का प्रश्न उठाती है जहां पहचान कि समस्या पुरुष के समक्ष नहीं आती उसकी पहचान स्थाई होती है स्त्री की तो पहचान ही उसकी अपनी नहीं पहले पिता, फिर पति। अगर दोनों ही ना हो यह विचारणीय प्रश्न है जेंडर के संदर्भ में समझा जाए तो स्त्री को सदा ही समाज में कमजोर व आश्रित माना गया जिसके लिए पहले पिता फिर पति के संरक्षण की व्यवस्था की गई।

डॉ. बी आर अंबेडकर (1976) के अनुसार लिंग असमानता का प्रयोग कहीं ना कहीं जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए भी किया गया है। एक आदर्श स्थिति के रूप में स्त्री रू पुरुष अनुपात बनाए रखना था इसके लिए 1. स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए 2. स्त्री को आजीवन विधवा रखा जाए जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। 3. विधुरो को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य किया जाए।4. विधुर का ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य ना हो अर्थात लड़कियों का बाल विवाह।

ऊपरी तौर पर देखने वाले व्यक्तियों को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लगेगी किंतु वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियां प्रस्तुत करता है यह है:

1. शक्तियां विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना।
2. थोपा गया आजीवन वैधव्य, जिसके अंतर्गत एक विधवा को पुन: विवाह करने की आज्ञा नहीं है।
3. बालिका विवाह।

यदि भारतीय समाज में लिंग असमानता की ऐसी कुरीतियों का पालन हो रहा था तो इनको करने के पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या हमारे सामने नहीं है।

कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की परंतु जिसमें वैज्ञानिकता कम लिंग असमानता ज्यादा दिखाई देती है। जैसे ए के कुमार स्वामी(1913) के अनुसार सती सम्माननीय है क्योंकि यह पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की संपूर्ण एकात्मता और श्मशान से परे तक समर्पण को दर्शाती है क्योंकि इसमें पत्नीत्व को साकार रूप दिया गया है, जैसा कि उमा ने अच्छी तरह उस समय स्पष्ट किया है जब उन्होंने कहा था हे महेश्वर अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है यही उसका शाश्वत स्वर्ग है भावुकता में वह आगे कहती है मेरी धारणा है कि यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं है तो मेरे लिए स्वर्ग की कामना करना बेकार है।

यहां पर दो बातें सामने आती है पहेली पत्नीत्व की धारणा है तो फिर इसी प्रकार पतित्व धारणा भी होनी चाहिए थी पुरुष को भी अपनी मृत पत्नी के साथ सती होना चाहिए था। दूसरा की पत्नी का सामाजिकरण किस प्रकार से हुआ कि उसे सती होना अनिवार्य या योग्य लगने लगा।

इसी प्रकार डॉ केतकर (1907) के अनुसार वह बालिका विवाह की प्रशंसा में कहते हैं एक सच्चे आस्थावान स्त्री या पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद अन्य पुरुष या स्त्री से लगाव या संबंध नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह के पूर्व भी आवश्यक है क्योंकि एक अच्छे चरित्र के लिए यही सही आदर्श है। किसी अपरिणिता को पवित्र नहीं माना जा सकता। यदि वह ऐसा करती है तो यह पाप है इसलिए एक लड़की के लिए यह अच्छा होगा कि किसी प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं जागृत होने से पूर्व ही उसे यह पता होना चाहिए कि उसे किससे प्रेम करना है और तभी उसका विवाह हो जाना चाहिए।

मालविका कारलेकर (1998) के अनुसार सत्ता और अधिकार के कारण सदियों से आमतौर पर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार रही है घरेलू शोषण को इन्होंने 5 कैटेगरी में विभाजित किया है – शारीरिक , यौन, भावनात्मक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक। पत्नी को उसके ससुराल वालों और पति द्वारा कई कारणों से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है यह प्रताड़ना दहेज के लिए, घरेलू कामों के लिए या कभी-कभी केवल संतुष्टि के लिए ही हो सकती है। दुनिया भर में वर्ग, धर्म, समुदाय और भारत की जाति पृष्ठभूमि के मामलों के बावजूद पत्नी को पीटना दुर्व्यवहार का सबसे आम रूप है।

जगन कराडे के अनुसार भारत में पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों ने महिलाओं को घर और कार्यस्थल के भीतर दोयम दर्जे पर पहुंचा दिया है। पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार पीढ़ियों से उत्साहित है और दोनों लिंगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि भारत के संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं लेकिन लिंग असमानता अभी भी बनी हुई है। भारत में भेदभाव का सबसे पहला और प्रमुख कारण मानसिक बनावट है। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं जहां पुरुष सभी निर्णय लेते हैं और महिलाओं को बस सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। रोटी कमाने से लेकर घर चलाने तक का फैसला सिर्फ एक आदमी ही करता है। 21वीं सदी में भी कई महिलाओं के पास अभी भी खुद से जुड़े फैसल फैसले लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। शादी से लेकर परिवार शुरू करने तक पुरुष ही हुक्म चलाता है और महिलाएं उसका पालन करती है। शिक्षा का अभाव सभी बुराइयों का मूल कारण है इसलिए ज्योतिबा फुले, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, महर्षी धोंडो केशव कर्वे जैसे कई समाज सुधारक कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी साधन है। और ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप महर्षी करवे ने महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय शुरू किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल के रूप में एक बिल बनाया। भारतीय महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की एक लंबी परंपरा रही है उनमें से कुछ जिन्होंने बेच मार्ग बनाया है स्वर्गीय डॉ. आनंदीबाई जोशी पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी, डॉक्टर कमला सुहानी विज्ञान संकाय में पीएचडी करने वाली पहली महिला थी, राजेश्वरी चटर्जी कर्नाटक की पहली महिला इंजीनियर थी। डॉ चित्रा जयंत नाईक प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाज सेविका थी। महात्मा फुले ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि बेहतर माना है। अपने सार्वजनिक जीवन में वे लिखते हैं कि पुरुष और महिला दोनों मानवाधिकारों का आनंद लेने के लिए समान रूप से योग्य है। कृष्णाराज मैत्री के अनुसार लिंग समीकरण के दो पक्ष है– महिला और पुरुष। हमारा समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण निसंदेह पुरुषों

को विशेषाधिकार प्राप्त है।

लैंगिक असमानता के मुख्य कारण – निम्नलिखित है

1. पितृसत्तात्मक समाज
2. सामाजिकरण
3. घर परिवार एवं समाज का दबाव
4. मानसिकता
5. धर्म
6. वैधानिक स्तर
7. अशिक्षा
8. अंधविश्वास
9. आत्मविश्वास की कमी

विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानता

सामाजिक जीवन में – परंपरागत रूप से घरेलू कार्य का तात्पर्य महिला से ही लगाया जाता है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना बच्चों के पालन पोषण तथा अतिथि सत्कार रहा है। वर्तमान समय में पुरुष और महिला दोनों ही कार्यशील होते हैं। फिर भी घर की पूरी जिम्मेदारी महिला की ही होती है। यदि पुरुष ऑफिस से आता है तो वह थका होता है परंतु यदि महिला ऑफिस से आती है तो उसकी थकान पर कोई चर्चा नहीं होती है। यदि महिला कोई भी कार्य करती है तो वह अपने पारिवारिक कार्य के अतिरिक्त कार्य होता है।

निर्णय निर्माण क्षेत्र में – गृहिणी होने के बावजूद घर के महत्वपूर्ण निर्णय में महिलाओं की भागीदारी सीमित होती है। घर में खाना क्या बनाया जाएगा यह निर्णय तो महिला ले सकती है परंतु किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय या बड़े महत्वपूर्ण निर्णय महिला अकेले नहीं ले सकती या उसकी भागीदारी अनिवार्य नहीं होती है। जितनी महिलाओं की आबादी है उस हिसाब से निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी कम है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी महिला की निर्णय निर्माण क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं है।

आर्थिक क्षेत्र में – अभी भी अवसरों की असमानता कि वजह से आर्थिक क्षेत्र में महिला और पुरुष में असमानता दिखाई देती है।

कार्यस्थल में – सरकारी नौकरियों में समान काम समान वेतन की पॉलिसी लागू होती है परंतु ऐसे बहुत से कार्य है जहां पर यह नियम लागू नहीं होता है आज भी महिला मजदूर को पुरुष मजदूर से कम मजदूरी मिलती है। खेतों में भी अधिक परिश्रम वाले कार्य महिला मजदूर ही करती है जैसे धान की रोपाई। महिला मजदूर को किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलती है चाहे वह मासिक चक्र, गर्भावस्था हो, स्तनपान कराने वाली मां हो।

धार्मिक क्षेत्र में – हम चाहे सतत विकास के लक्ष्य में लिंग समानता को शामिल करें, महिला वर्ष मना ले, महिला दिवस मना ले, महिला दिवस पर वेबीनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कर ले परंतु वास्तविकता यही है कि आज भी विभिन्न प्रकार के मंदिरों में महिलाओं को जाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है जैसे सबरी माला मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर। आज भी मॉडर्न सोसाइटी में मंदिरों में पुजारी पुरुष ही है आज भी महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ने के बाद भी महिला शंकराचार्य के पद पर नहीं पहुंच पाई है।

राजनीतिक क्षेत्र में – विभिन्न राजनीतिक दल संविधान के दायरे में आते हैं संविधान से हमें समानता का अधिकार प्राप्त होता है परंतु इन्हीं राजनीतिक दलों में भी समानता दिखाई नहीं देती है आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सिर्फ एक महिला रक्षा मंत्री बनना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय पुरुषों के पास ही रहते हैं। अधिकांश समय महिला को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया जाता है। मैं यह नहीं कहना चाह रही कि यह महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। परंतु महिला यदि घर को अच्छे से चला सकती है तो देश को भी अच्छे से चला सकती है। यदि लिंग आधारित असमानता को दरकिनार कर महिलाओं को सभी मंत्रालयों में कार्य करने के मौके मिले तो बेहतर होता। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति के समय भी महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता। यहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत में वर्तमान समय तक एक महिला प्रधानमंत्री दो महिला राष्ट्रपति रह चुकी है परंतु अमेरिका जैसे विकसित देश में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है।

विज्ञान के क्षेत्र में – विज्ञान का क्षेत्र सामने आते ही कहीं ना कहीं पर प्रगतिशील विचारधारा सामने आती है परंतु इस क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता विद्यमान है वैज्ञानिक समुदाय में नहीं लाओ की संख्या कम है और इसके साथ ही उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट पर भी लगा दिया जाता है। मुझे लगता है कि स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है हम उन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं परंतु वहीं दूसरी और मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को पता नहीं कितने लोग जानते हैं। एन ई पी में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत इनको पढ़ाया जाना मैं समझती हूं महिला समानता की ओर यह एक कदम है। निश्चित ही यहां मोहना सिंह, भावना कंठ तथा अवनी चतुर्वेदी महिला फाइटर पायलट की उपलब्धि भी महत्वपूर्ण है।

मनोरंजन के क्षेत्र में – मनोरंजन के क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता दिखाई देती है। आप देखते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में एक्टर लंबे समय तक हीरो की ही भूमिका में रहता है परंतु एक्ट्रेस कुछ समय तक हीरोइन की भूमिका में रहती है फिर समय के साथ वह बहन, भाभी, बहू, सास, दादी आदि के रोल में आ जाती है। इसके अतिरिक्त महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में भी अंतर होता है इसके अतिरिक्त अधिकांश फिल्में पुरुष प्रधान चरित्र पर आधारित होती है। हम देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक एक्टर के नाम से ही फिल्म के हिट होने की गारंटी हो जाती है परंतु एक्ट्रेस के मामले में ऐसा दिखाई नहीं देता है। मनोरंजन के क्षेत्र में महिला को उसके रंग रूप से अधिक आंका जाता है और उन्हें इसी रूप में प्रस्तुत भी किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में ही अधिकांश टीवी शो में खलनायक के रोल में महिला को दिखाया जाता है। विज्ञापनों के माध्यम से भी महिलाओं के शारीरिक गुणों का बखान किया जाता है।

खेल के क्षेत्र में – खेल की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और हम पुरुष क्रिकेटर्स की कितनी पीढ़ियों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। वही महिला क्रिकेटर की बात करें तो मुझे लगता है कि अपने सन्यास के बाद भी मिताली राज को जानने वालों की संख्या कम ही होगी। अन्य खेलों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अहमियत दी जाती है। महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों की अपेक्षा पारिश्रमिक भी कम मिलता है। यदि कभी किसी पुरुष खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है और उसकी महिला मित्र वहां पर होती है तो भी उसके परफॉर्मेंस के लिए महिला को जिम्मेदार मान लिया जाता है।

आंदोलनों में – स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं का जिक्र कम ही होता है। चिपको आंदोलन देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इसकी चर्चा हुई परंतु इसमें भाग लेने वाली महिलाओं से अधिक चर्चाओं में पुरुष ही रहे।

संगठनों में – आज भी ऐसे संगठन हमारे समाज में है जिसमें महिलाओं को कोई उच्च पद प्राप्त नहीं हुए हैं।

लिंग असमानता को दूर करने के उपाय:

1. हमारी ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो तर्कपूर्ण नहीं है उनका त्याग करके।
2. महिलाओं को शिक्षित करके।
3. अवसरों की समानता प्रदान करके।
4. जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू करके।
5. धार्मिक कट्टरता का त्याग करके।
6. समाज में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा वर्ग का हो यदि वह किसी भी रूप से कन्याूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा, बलात्कार तथा किसी भी प्रकार के शोषण आदि जैसे कृत्यो में शामिल हो तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
7. पाठ्यक्रमों में लिंग आधारित असमानता संबंधित शिक्षा न दी जाए।
8. महिलाएं भी यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग ना करें।

निष्कर्ष – समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नीव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य पांच के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है।(achieve gender equality and empower all women and girl)। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम द्वारा 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों की सूची में 135 में नंबर पर है। इस सूची को बनाते समय 4 बैच मार्क होते हैं– 1 आर्थिक भागीदारी और अवसर 2. शिक्षा प्राप्ति 3. स्वास्थ्य और जीवन रक्षा 4. राजनीतिक अधिकारिता।

महिला और पुरुष समाज के स्तंभ है समाज में लैंगिक असमानता जानबूझकर बनाई गई थी जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो गया था परंतु अब समय और समाज दोनों ही बदल रहे हैं। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लिंग समानता को बनाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Ambedkar B R (1979) Cast in India : their mechanism genesis and development , writing and speeches, Education department Government of Maharashtra volume I
2. खेतान प्रभा (2010) अन्या से अनन्या, राजकमल प्रकाशन संस्करण, नई दिल्ली।
3. Beauvoir, Simone de (1971) The second sex, Oxford University press, New York.
4. Karade Jagan and Asha Suratkal (2017) "Analysis of Gender Inequality in Indian society to Pune city" scholarly research journal for humanity science and english language. Vol 4/22, page 5265.www.srjis.com
5. Karlekar Malavikar(1998) "Domestic Violence" economic and political weekly,Vol 33,no.27,page1741
6. Rege Sharmila (1995) "Feminist pedagogy and sociology for emancipation in India" sociological bulletin, vol 44 issue 2 Sage journal

****